04.10.2023

अपीलार्थीगण द्वारा अधिवक्ता श्री मनोज तिवारी।

प्रत्यर्थी कमांक 01–ए लगायत 01–डी एवं 06 की ओर से अधिवक्ता श्री गोविंद मिश्रा।

प्रत्यर्थी कमांक 02,03 एवं 04 की ओर से अधिवक्ता श्री अरविंद गुरू।

शेष प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

प्रकरण अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर तर्क हेतु नियत है।

आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

पकरण का परिशीलन किया गया।

यह नियमित व्यवहार अपील व्यवहारवाद कमांक 89ए/2015 में दिनांक 25.07.22 को घोषित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.22 के विरूद्ध दिनांक 17.10.22 को प्रस्तुत की गयी है।

प्रश्नाधीन आवेदन के माध्यम से अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा कर इस अपील प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण किये जाने संबंधी प्रार्थना इस आधार पर की गयी है कि प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही एवं तारीख पेशी की जानकारी वादी अजय मिश्रा रखते थे, जिनका कोरोनाकाल में निधन हो चुका है तथा अजय के पुत्र शुभम द्वारा जानकारी ली जाती रही, किंतु उसका अधिवक्ता से संपर्क न हो पाने से एक अन्य मामले में तारीख पेशी पर आने पर डिक्री की जानकारी दिनांक 19.09.2022 को हो सकी एवं तत्पश्चात् दिनांक 24.09.2022 को निर्णय डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि

19/12/23
4/10/23

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

प्राप्त होने के उपरांत दशहरा अवकाश की छुटि्टयों उपरांत अपील तैयार कराकर जानकारी दिनांक से 01 माह के अंदर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रत्यर्थी कमांक 01—ए लगायत 01—डी की ओर से उक्त प्रार्थना का विरोध इस आधार पर किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा अजय के बीमार होने व कोरोना में मृत्यु होने संबंधी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विलंब का क्षमा योग्य कारण दर्शाया गया है।

यह नियमित व्यवहार अपील आक्षेपित डिकी दिनांक 25.07.2022 को पारित होने उपरांत विहित परिसीमा काल से 53 दिन विलंब से प्रस्तुत की गयी है। आवेदन में दर्शित विलंब से अपील प्रस्तुति के कारण के समर्थन में अपीलार्थी संजय का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अपील के साथ प्रस्तुत डिकी की सत्यप्रतिलिपि अनुसार अपीलार्थीगण को डिकी की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 24.09.2022 को प्राप्त हुई है जिससे 30 दिवस के अंदर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

यह सुस्थापित है कि विलंब क्षमा के बिंदु पर उदार रूख अपनाया जाकर मामले के गुण—दोष के आधार पर निराकरण किया जाना चाहिए। अपील प्रस्तुति में हुआ विलंब भी अत्यधिक होना नहीं कहा जा सकता तथा आवेदन में दर्शित कारण के समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र से भी कारण की पुष्टि होती है। फलतः आवेदन स्वीकार कर विलंब क्षमा करते हुए यह अपील सुनवायी हेतु ग्राह्य की जाती है।

प्रकरण विविध व्यवहार पंजी से निरस्त किया जाकर नियमित व्यवहार अपील के रूप में पंजीबद्ध किया जाये।

मूल अभिलेख तलब किया जावे।

प्रकरण अंतिम सुनवाई हेतु दिनांक 19.12.2023 को पेश हो।

(महेश कुमार झा)
द्वितीय जिला न्यायाधीश
देवरी, जिला सागर